छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

// आदेश //

रायपुर, दिनांक 12/03/2012

क्रमांक–एफ 7–09/2012/32 राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 73 उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, समूह आवास योजना में भवनों के बीच, सीमांत खुला क्षेत्र को छोड़कर, अन्य खुले स्थान को भू–तल पर पार्किंग हेतु निर्मित छत–युक्त संरचना, जिसे पोडियम कहा जायेगा, के लिए छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम, 72 (2) (ख) के अंतर्गत परिभाषित "सार्वजनिक गैरेज" के अनुरूप ही अनुज्ञा प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जाता है। ऐसी पोडियम का उपयोग खुले क्षेत्र, लैण्ड स्केपिंग, खेल–कूद के लिए ही किया जावेगा एवं सार्वजनिक गैरेज की भांति पोडियम क्षेत्र की गणना आवृत्त क्षेत्र में नही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस.एस.बजाज)
विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ.क्र. एफ 7–09/2012/32 रायपुर दिनांक 12/03/2012

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, रायपुर ।
2. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, रायपुर को पत्र कमांक–9545 /योजना/एनआरडीए/2012 दिनांक 22.02.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
4. कलेक्टर, रायपुर ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

12 MAR 2012
तकनीकी शाखा

14/3/12

E:\Suresh BARUA 2016 ADESH 2.doc